

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-02/2016/.....37..... /पटना, दिनांक.....27.03.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
बिहार, पटना।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, सुपौल, खगड़िया एवं सहरसा।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजना भिन्न से मुख्यालय एवं इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के स्थापना व्यय के वहन हेतु मुख्य शीर्ष-3454 के उपशीर्ष-0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹ 17,64,000/- (सत्तरह लाख चौसठ हजार) रुपये का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2016 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 30.03.2016 का स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2. वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-09/2014-2793/वी० दिनांक 04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट में प्रावधानित राशि से योजना/गैर योजना मद में राशि आवंटित/व्यय किया जा सकता है।

3. संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111- जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, 0001-सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-N/3454021110001 है।

4. संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 2 से 6 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः उप निदेशक (आहरण एवं व्ययन), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना, एवं संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।

5. राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि चकी निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

6. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।



8. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित पत्रांक- एम-4-09/2014-2793 दिनांक 04.04.2016 में उल्लेखित निदेश के साथ-साथ, समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

बजट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सहायक निदेशक व० सं० निदेशक विश्वासभाजन निदेशक

ज्ञापांक 37/पटना, दिनांक 27-03-17 अर्थ एवं सां० निदेशालय

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक 37/पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना
2. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 37/पटना, दिनांक 27-03-17

प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. संयुक्त निदेशक (योजना)/सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेवसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष 3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 111-जन्म-मृत्यु सांख्यिकी, उप शीर्ष- 0001- सामान्य सांख्यिकी का संग्रह शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 का अतिरिक्त आवंटन विवरणी । मांग सं 35 एवं विपत्र कोड- N/3454021110001

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01 वेतन	01-03 जीवन यापन भत्ता	01-04 मकान किराया भत्ता	01-05 परिवहन भत्ता	01-06 चिकित्सा भत्ता	01-07 अन्य भत्ता	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11-01 यात्रा व्यय	13-01 कार्यालय व्यय	13-03 दूरभाष	13-04 विद्युत प्रभार	13-05 विधि प्रभार	13-06 वर्दी/पोशाक	20-03 प्रशिक्षण व्यय	कुल योग
1	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना	-	-	-	-	-	-	-	10000	30000	-	-	-	-	-	100000	140000
जिला सांख्यिकी कार्यालय																	
2	पटना	220000	250000	50000		5000		525000	-	-	-	-	-	-	-	-	525000
3	नालन्दा	150000	100000	0		0		250000	-	-	-	-	-	-	-	-	250000
4	सुपौल	118500	156200	11900		800		287400	-	-	-	-	-	-	-	-	287400
5	खगड़िया	217000	250000	21700		1500		490200	-	-	-	-	-	-	-	-	490200
6	सहरसा	28000	40000	3000		400		71400	-	-	-	-	-	-	-	-	71400
कुल योग:-		733500	796200	86600	0	7700	0	1624000	10000	30000	0	0	0	0	0	100000	1764000

(सत्रह लाख चौसठ हजार रुपये मात्र)

वजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

वरीय संयुक्त निदेशक

निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय